

नम्बर
अहकाम
की तामील में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद गीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

संख्या:- 198/2023

निर्णय दिनांक :- १७/५/२५

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

विधाधर शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी बडोली तहसील दूनी
जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 384 खसरा नम्बर 1122/1645 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है तथा काशत कर रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गई तो मोकें पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।


तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है। स्वयं के कब्जे काशत की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो सीमा विवाद है जिसमें प्रार्थी स्वयं सह-खातेदार है। खसरा नम्बर 1122 जिनमें भगवानदास पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रह्मण, सत्यनारायण पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रह्मण, विधाधर पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रह्मण, नन्दकिशोर पुत्र रामराय जाति ब्रह्मण, महावीर पुत्र रामराय जाति ब्रह्मण निवासी बडोली से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। किसी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 384 खसरा नम्बर 1122/1645 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली